संख्या-07/2016/5090(ए)/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 18 जनवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत श्री हाजी इकराम कुरैशी, मा0 सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 को अनुमन्य नियत मानदेय का भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2083/स0क0/लेखा-बजट/मु0अ0अधि0/पुनर्विनियोग/2015-16 दिनांक-20.11.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-2,20,000/- (रूपये दो लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय अधिष्ठान-00-07-मानदेय हेतु भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1626/दस-2015, दिनांक-01 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-07/2016/5090ए(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

4- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

5-श्री हाजी इकराम कुरैशी, मा0 सलाहकार, समाज कल्याण, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–156)

अनुदान संख्या–80– वित्तीय वर्ष 2015–16 प्रपत्र बी०एम०–9

(रु० हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण							निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्षक–15डिजिटलकोड में आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	सम्बन्धित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में अनुमानित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–मुख्यालय अधिष्ठान 00–						2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–मुख्यालय अधिष्ठान 00–					
01–वेतन	42616	220	220	220	42396	07–मानदेय	20	240	220	220	240
योग–	42616	220	220	220	42396		20	240	220	220	240

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–
क–आवश्यकता के अनुसार बचत है।
2–स्तम्भ–8 में उपलब्ध अनुदान से स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
क–मानक मद में धनराशि कम होने तथा आवश्यकता अधिक होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–बी०ई०–230/दस–3–1626/दस–2010 दिनांक 01 जनवरी 20

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राम......)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

Praroop

संख्या–5090 (1)/26–3–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3– निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट,लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।